



P-ISSN: 2706-7483
E-ISSN: 2706-7491
NAAS Rating (2025): 4.5
IJGGE 2025; 7(11): 56-64
www.geojournal.net
Received: 02-08-2025
Accepted: 07-09-2025

आर्या

शोध छात्रा, स्नातकोत्तर
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
तिलकामांझी भागलपुर
विश्वविद्यालय, भागलपुर,
बिहार, भारत

Corresponding Author:

आर्या

शोध छात्रा, स्नातकोत्तर
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
तिलकामांझी भागलपुर
विश्वविद्यालय, भागलपुर,
बिहार, भारत

बिहार के जल-जीवन-हरियाली अभियान से पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन

आर्या

DOI: <https://www.doi.org/10.22271/27067483.2025.v7.i11a.446>

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति जितना सम्मान और आकर्षण है, उतना अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। मानव को प्रकृति का संतान माना गया है। प्रकृति के अंगों का वर्णन करके उसका महत्व बताया जाता है। पर्वत, नदियाँ, भूमि और वायु हमारे जीवन को शुद्ध और सुखद बनाती हैं। प्रकृति समय तथा परिस्थितियों के अनुसार माँ की ममता जैसी सुरक्षा देती है और कभी-कभी पिता की तरह क्रोध भी प्रदर्शित करती है।

हमारी पृथ्वी, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद से आज तक जीवन अनेक रूपों में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल, वायु, वनस्पति और जीव-जंतु के बीच जैविक व अजैविक तत्वों का मेल पर्यावरण की रचना करता है। सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कल्पना केवल तभी संभव है जब वातावरण शुद्ध और संतुलित रहे।

जलवायु परिवर्तन तथा उससे उपजे प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने प्राकृतिक असंतुलन को गंभीर चुनौती मानकर इस पर विचार-विमर्श आयोजित किया। इन समस्याओं का समाधान खोजने हेतु दिनांक 13 जुलाई 2019 को बिहार विधानसभा की केंद्रीय कक्ष में विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। सर्वदलीय सहमति के उपरांत बनाई गई नीति को लागू करने के उद्देश्य से जल-जीवन-हरियाली अभियान को कार्यरूप प्रदान किया गया।

‘आगामी पीढ़ियों के लिए हमारा तोहफा : जल-जीवन-हरियाली से युक्त बिहार’

बिहार को हरित, सुंदर और स्वच्छ स्वरूप प्रदान करने तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, भू-जल स्तर में वृद्धि करने, अक्षय ऊर्जा उत्पादन, अपव्यय रोकने एवं ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देने तथा बदलते पर्यावरणीय परिदृश्य के अनुरूप कृषि को नया आयाम देने हेतु 11 बिंदुओं की कार्य-योजना तैयार की गई। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को पूरे राज्य में जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के रूप में की गई। राज्य में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से

प्रत्येक वर्ष बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है। पर्यावरणीय क्षेत्र में वृद्धि के लिए 24 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 19 करोड़ रुपये पहले ही व्यय किए जा चुके हैं।

जिलों की पंचायतों में जन-जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए। भू-जल स्तर में वृद्धि के लिए व्यापक पैमाने पर चेक डैम, रिचार्ज बोरवेल, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता निर्माण, तालाब, पोखर आदि के निर्माण कराए गए।

‘जीवन में समृद्धि तब तक,
जब तक जल-जीवन-हरियाली अब तक।’

मुख्य शब्द – औद्योगिक विकास, जन-जीवन, पर्यावरण संरक्षण, जल-जीवन-हरियाली, स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्राकृतिक सौंदर्य, आदर, आकर्षण, संतान, शुद्ध, सुखद, ममता, क्रोध, प्रदर्शित, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ, जीव-जंतु, वनस्पति, अक्षय ऊर्जा, समृद्धि।

परिचय

पर्यावरण और मानव के बीच स्थापित होने वाला घनिष्ठ संबंध, जो एक-दूसरे पर आधारित होता है, उसे सहजीवन कहा जाता है। मानव और प्रकृति के मध्य सह-अस्तित्व की भावना होना आवश्यक है।

भारतीय परंपरा में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति जितना सम्मान और आकर्षण देखा जाता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। मानव को प्रकृति का संतान माना गया है। प्रकृति के विभिन्न अंगों का उल्लेख करने पर उसका महत्व प्रकट होता है। पर्वत, नदियाँ, धरती और वायु हमारे जीवन को शुद्ध तथा आनंददायी बनाती हैं। परिस्थितियों के अनुसार प्रकृति कभी माँ की तरह स्नेह देती है तो कभी पिता की भाँति कठोर दंड भी प्रदान करती है।

डॉ. विद्यानीवास मिश्र के मतानुसार – “प्रकृति की संवेदनशीलता मानव को प्रभावित करती है, किंतु जब औद्योगिक प्रगति के कारण मानव इसे चुनौती मानने लगता है तब वह उस पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा करने लगता है। यही वह स्थान है जहाँ मानव और प्रकृति का संबंध टूटने लगता है और इसका परिणाम संकट के रूप में सामने आता है।”

ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा पाप नाशिनी है। उसका जल पवित्र है और जब तक गंगा का प्रवाह सतत बना रहेगा, हमारी संस्कृति और सभ्यता पुष्ट और जीवंत बनी रहेगी।

प्रकृति ने हमें अपार प्राकृतिक संसाधन दिए हैं - जैसे जल, वायु, भूमि और खनिज पदार्थ। लेकिन इन संसाधनों का अति-शोषण, जनसंख्या की बढ़ती तथा औद्योगिकीकरण और विकास योजनाओं के अनुचित क्रियान्वयन के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। परिणामस्वरूप पर्यावरण संबंधी समस्याएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।

इन समस्याओं की गहनता और पर्यावरण संरक्षण व सुधार की अनिवार्यता के प्रति जनसाधारण को जागरूक बनाना अत्यंत आवश्यक है। तभी इन चुनौतियों का समाधान तथा पर्यावरण सुधार हेतु योजनाओं के लिए व्यापक जन-सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

डॉ. सत्यप्रकाश के अनुसार - “प्रकृति हमारी आराध्या है। इसके प्रबुद्ध होने से मन और बुद्धि का चिंतन भी जागृत होता है। इसलिए अपने हित और सुरक्षा के लिए हमें पर्यावरण की रक्षा अवश्य करनी चाहिए।”

पर्यावरण समस्या का जनजीवन पर प्रभाव –

पर्यावरण और जनजीवन का संबंध अटूट है। यह जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। सामान्य स्थिति में यह संबंध संतुलित रहता है, लेकिन जब असंतुलन उत्पन्न होता है, तब जनसमाज का जीवन प्रभावित होता है और उसके प्रतिकूल परिणाम सामने आते हैं।

प्रदूषित जल का प्रभाव

दूषित पेयजल अनेक प्रकार की घातक बीमारियाँ उत्पन्न करता है। इसके कारण हैजा, अतिसार, टाइफाइड, खाँसी-जुकाम, पीलिया और पेट की बीमारियाँ फैलती हैं।

प्रदूषित वायु का प्रभाव

वायु प्रदूषण मानव की श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुँचाता है। इसके परिणामस्वरूप दमा, निमोनिया और गले के दर्द जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। हानिकारक गैसों जब वातावरण में अत्यधिक मात्रा में मिल जाती हैं, तो

यह साँसों में घुटन उत्पन्न करती हैं और कई बार मृत्यु का कारण भी बनती हैं।

ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव

ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। तीव्र शोर के कारण व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त इससे रक्तचाप, सिर दर्द, घबराहट और अन्य मानसिक रोग भी जन्म लेते हैं।

भारत में पर्यावरण समस्या

भारत में पर्यावरण समस्या का जाल इस प्रकार फैल चुका है कि देश का संतुलन बिगड़ गया है। अनेक सर्वेक्षणों से यह तथ्य सामने आया है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया जा रहा है। परिणामस्वरूप जनजीवन संकटग्रस्त स्थिति में पहुँच गया है।

यहाँ की वायु में प्रतिदिन लगभग 40 लाख टन सल्फ्यूरिक एसिड, 70 लाख टन राख, 10 लाख टन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि अनेक प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं। औद्योगिक इकाइयों से प्रतिदिन 1000 से 1700 टन तक प्रदूषण फैलता है।

कोलकाता में प्रतिदिन 1300 टन औद्योगिक अपशिष्ट पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से श्वसन रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कानपुर, अहमदाबाद और कोयंबटूर जैसे औद्योगिक नगर भी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। आधा भारत भूस्खलन से प्रभावित है। देश के प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा खनन और पर्वतीय चक्र के कारण नष्ट हो रहा है। खदानों के अंधाधुंध दोहन ने यहाँ की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाया है।

सर्वेक्षणों के आधार पर पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाली अनेक योजनाएँ बंद की गईं और कुछ को संशोधित रूप दिया गया। केरल, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में घाटी परियोजनाओं को भी रोकना पड़ा। भारत में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तेजी से फैल रही है। जल, वायु और भूमि के प्रदूषण से जीवन संकट में पड़ गया है। इस गंभीर स्थिति को सुधारने

हेतु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

भारत में जल तथा वायु संसाधन नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसने पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए कई सुझाव दिए हैं –

1. पर्यावरण नियंत्रण पर होने वाले व्यय को नए उद्योगों की लागत में सम्मिलित किया जाए।
2. मौजूदा उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को अनिवार्य रूप से लगाया जाए।
3. औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न प्रदूषण को न्यूनतम करने की व्यवस्था हो।
4. नागरिक दायित्व के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण नियंत्रण की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाए।
5. पर्यावरण संरक्षण संबंधी जागरूकता फैलाने हेतु शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए।
6. इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूट द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए गए हैं।
7. नए उद्योगों को लाइसेंस उसी समय दिया जाए जब वे पर्यावरण नियंत्रण की शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हों।

भारत में 1962 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना हुई। इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में पारित किया गया।

विश्व का सबसे बड़ा संकट-प्रदूषण

आज प्रदूषण पूरी दुनिया की गंभीर समस्या बन चुका है। विश्व की समस्या का अर्थ है - जीवों की समस्या। इस संकट ने न केवल मानव के जीवन को प्रभावित किया है बल्कि उसके अस्तित्व को भी खतरे में डाल दिया है।

पृथ्वी की सतह से ऊपर 6 मील तथा नीचे 6 मील तक का जल एवं भूमि क्षेत्र जीवनक्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत जीव-जंतु निवास करते हैं। इस जीवनक्षेत्र के ऊपर 2 मील और नीचे 2 मील तक के वातावरण में जीवन के लिए आवश्यक तत्व पाए जाते हैं - ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। जब इस संतुलित चक्र में व्यवधान होता है तो अनेक हानियाँ सामने आती हैं -

- ऑक्सीजन की कमी से प्राणी अचेतन हो जाते हैं और अधिक समय तक ऑक्सीजन न मिलने से मृत्यु तक हो सकती है।
- कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से जल प्रदूषण होता है।
- कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटा देती है।
- प्रकृति में असंतुलन के कारण वायु, जल, थल, रेडियोधर्मी और औद्योगिक प्रदूषण उत्पन्न होता है।

गुप्ता एवं नन्दा का मत

“मानव ने न केवल प्रकृति के नाजुक संतुलन को अस्त-व्यस्त किया है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी किया है। इस अविवेकी उपयोग के कारण आज वातावरण इतना दूषित हो गया है कि अब मानव का अस्तित्व ही उस पर निर्भर दिखाई देने लगा है।”

भारत में पर्यावरण सुधार

भारत सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन करते हुए दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48 (A) और 51 A (G) जोड़े।

अनुच्छेद 48 (A) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वन्य व जीव-जंतुओं की सुरक्षा करे।

अनुच्छेद 51 A (G) नागरिकों का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण के साथ-साथ सभी जीव-जंतुओं के प्रति दयालु रहें।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार के उद्देश्य से 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार को सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए विभिन्न निकाय और प्राधिकरण स्थापित किए गए जो पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन (UNFCCC) में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते किए गए। इसे "रियो सम्मेलन" के नाम से भी जाना जाता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था।

अभियान की अवधि

इस अभियान की प्रारंभिक अवधि वर्ष 2021-22 तक निर्धारित की गई थी। इसके बाद दिनांक 16 अगस्त 2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे वर्ष 2024-25 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के अवयव

जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल 11 अवयव निर्धारित किए गए हैं ताकि पर्यावरणीय संतुलन स्थापित किया जा सके। ये अवयव प्राकृतिक अनुकूलन में सहायक सिद्ध होते हैं -

- सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं की पहचान कर अतिक्रमण से मुक्त कराना।
- तालाबों, पोखरों, आहरों, पड़न आदि जलस्रोतों का जीर्णोद्धार।
- पुराने कुओं की पहचान कर उनका संरक्षण।
- नहरों, चापाकलों एवं किनारों पर अन्य जल संरचनाओं का निर्माण।
- छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संचयन का संरक्षण एवं चेकडैम का निर्माण।
- नए जलस्रोतों की खोज एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त जल पहुंचाना।
- भवनों की छतों पर वर्षा-जल संचयन संरचनाओं की व्यवस्था।
- पौधरोपण तथा सामूहिक वृक्षारोपण।
- कृषि योग्य भूमि पर टपक सिंचाई, स्प्रींकलर इत्यादि आधुनिक तकनीकों का प्रयोग।
- सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना एवं ऊर्जा की बचत।
- जल-जीवन-हरियाली जनजागरण अभियान।

बिहार में जल-जीवन-हरियाली अभियान

- पानी की उपलब्धता का सीधा संबंध हरियाली से है। झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में केवल 7% क्षेत्र में प्राकृतिक जंगल बचे थे। बगीचे और पौधों को मिलाकर यह हरित क्षेत्र लगभग 10% था।
- बिहार सरकार ने हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। अब तक यह हरित क्षेत्र 15% तक पहुँच गया है। अगले 3 वर्षों में इसे 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
- इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 180 नर्सरी तैयार की हैं। इनकी पौधा तैयार करने की क्षमता 4 करोड़ प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य है। अभी क्षमता 1.60 करोड़ पौधा प्रतिवर्ष है।
- 21 जुलाई 2019 को पूरे बिहार में एक दिन में वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया गया। सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और पार्कों में पौधे लगाए गए।
- सभी 38 जिलों में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत भवन निर्माण विभाग द्वारा हर भवन में पानी बचाने की योजना लागू की गई। यह योजना 2 अक्टूबर 2019, गांधी जयंती से शुरू हुई।
- गया ज़िले में पानी की कमी से निपटने के लिए वर्ष 2019-20 में बड़े पैमाने पर कार्य किए गए और पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया गया।

जल स्तर बढ़ाने के उपाय

भू-जल और सतही जल स्तर को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर चेक डैम, रिचार्ज बोरेवेल, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता निर्माण, नालियाँ, पाइन व आहार बनाए गए।

पर्यावरण सुधार के लिए प्रयास

पेड़-पौधे लगाने से वातावरण में बदलाव आता है और बारिश को आकर्षित किया जा सकता है। इसी कारण लगभग 16 लाख पौधे लगाए गए।

इसका परिणाम यह हुआ कि साल 2020 में गया जिले का भू-जल स्तर पहले से बेहतर रहा और जल संकट काफी हद तक कम हो गया।

इसी वजह से उस वर्ष कहीं भी जनता को पानी की टंकी से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी।

शोध का उद्देश्य

1. जल संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान।
2. जल संचयन संरचनाओं की पहचान, मरम्मत एवं उपयुक्त विकास।
3. अतिक्रमण से मुक्त कर संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा नए स्रोतों की खोज।
4. चेकडैम, गार्लैंड ट्रेंच एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण कर जल का बेहतर उपयोग।
5. वर्षा-जल के संरक्षण हेतु संरचनाओं का निर्माण, रखरखाव एवं जन-जागरूकता।
6. हरित आवरण बढ़ाने और उचित पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नर्सरी (पौधशालाओं) का विकास किया जाएगा।
7. मौसम के अनुसार फसल अपनाना, सौर ऊर्जा का उपयोग करना और हरित आवरण बढ़ाना ज़रूरी है।
8. जल-जीवन-हरियाली से जुड़ी जागरूकता गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।

साहित्य अवलोकन

पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध पर अनेक विद्वानों तथा विचारकों ने अपने मत प्रकट किए हैं। मौजूदा साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि मानव ने अपने विकास के नाम पर प्रकृति के संतुलन को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है। जो निम्नलिखित हैं-

1. **गुप्ता एवं नन्दा (1980):** के अनुसार, “मानव ने न केवल प्रकृति के नाजुक संतुलन को अस्त-व्यस्त किया है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी किया है। इस अविवेकी उपयोग के कारण आज वातावरण इतना दूषित हो गया है कि अब मानव का अस्तित्व ही उस पर निर्भर दिखाई देने लगा है।” यह मत पर्यावरण संकट की गंभीरता और मानव की असंवेदनशीलता को रेखांकित करता है।

2. **डॉ. सत्यप्रकाश (1992):** का मत है कि “प्रकृति हमारी आराध्या है। इसके प्रबुद्ध होने से मन और बुद्धि का चिंतन भी जागृत होता है। इसलिए अपने हित और सुरक्षा के लिए हमें पर्यावरण की रक्षा अवश्य करनी चाहिए।” यह दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति मानव की नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी को दर्शाता है।
3. **डॉ. विद्यानीवास मिश्र (1998):** ने लिखा कि “प्रकृति की संवेदनशीलता मानव को प्रभावित करती है, किंतु जब औद्योगिक प्रगति के कारण मानव इसे चुनौती मानने लगता है, तब वह उस पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा करता है। यही वह स्थिति है जहाँ मानव और प्रकृति का संबंध टूटने लगता है और परिणामस्वरूप पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होता है।” यह विचार औद्योगिकीकरण और मानवीय अहंकार के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय असंतुलन की ओर संकेत करता है।
4. **संयुक्त राष्ट्र, स्टॉकहोम सम्मेलन से लेकर रियो सम्मेलन तक (1972 & 1992):** अनेक अंतरराष्ट्रीय प्रयास पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए हैं। भारत ने भी इस दिशा में कई संवैधानिक और विधिक कदम उठाए हैं।
5. **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986):** संविधान के अनुच्छेद 48(A) और 51A(G) में पर्यावरण की रक्षा को राज्य और नागरिकों का कर्तव्य घोषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया।
6. **जल जीवन हरियाली अभियान (2019):** वर्तमान समय में बिहार सरकार का “जल-जीवन-हरियाली अभियान (2019)” इस दिशा में एक ठोस और प्रभावी कदम है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना, जल स्रोतों का संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और जनजागरूकता फैलाना है। यह अभियान न केवल पर्यावरणीय संतुलन को पुनर्स्थापित करने की दिशा में सहायक है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर जनता को भी इस प्रयास में सहभागी बनाता है।

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक (Descriptive and Analytical Research) प्रकृति का है।

इसमें पर्यावरणीय समस्याओं, उनके प्रभावों तथा “जल-जीवन-हरियाली अभियान” की नीतियों, उद्देश्यों और परिणामों का विश्लेषण किया गया है।

यह शोध गुणात्मक (Qualitative) एवं आंशिक रूप से मात्रात्मक (Quantitative) दोनों प्रकार का है।

गुणात्मक दृष्टि से: लोगों की पर्यावरणीय चेतना, सरकारी नीतियों और सामाजिक भागीदारी का अध्ययन किया गया।

मात्रात्मक दृष्टि से: अभियान से संबंधित आँकड़े (जैसे वृक्षारोपण संख्या, जल स्रोत पुनर्निर्माण, हरित क्षेत्र प्रतिशत आदि) का प्रयोग किया गया है।

(क) प्राथमिक स्रोत

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित “जल-जीवन-हरियाली अभियान” की रिपोर्टें। विभिन्न जिलों के पर्यावरण एवं वन विभाग के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों से साक्षात्कार।

क्षेत्रीय निरीक्षण – जैसे तालाब, जलाशय, पौधरोपण स्थल आदि का अवलोकन।

(ख) द्वितीयक स्रोत

पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी पत्रिकाओं एवं अखबारों से संकलित आँकड़े। इंटरनेट स्रोतों, सरकारी वेबसाइटों (जैसे environment.bih.nic.in, jljh.bih.nic.in) से प्राप्त तथ्य।

विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टें – जैसे Central Pollution Control Board (CPCB) और Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) की रिपोर्ट।

अध्ययन का क्षेत्र

इस शोध का क्षेत्र बिहार राज्य है, विशेषकर वे जिले जहाँ जल-जीवन-हरियाली अभियान का क्रियान्वयन प्रमुख रूप से हुआ है (जैसे गया, नालंदा, पटना, भागलपुर आदि)।

शोध की परिकल्पना

1. जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न समस्याओं को बिहार सरकार ने गंभीर चुनौती मानते हुए, उसके समाधान हेतु ठोस पहल की। 13 जून 2019 को बिहार विधानसभा की केंद्रीय कक्ष में विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें व्यापक जन-अभियान चलाने का निर्णय लिया गया और जल-जीवन-हरियाली अभियान का स्वरूप निर्धारित किया गया।
2. सर्वदलीय सहमति के बाद प्रभावी रणनीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान की परिकल्पना को वास्तविक रूप दिया गया। "आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी धरोहर - जल-जीवन-हरियाली, युक्त बिहार"
3. जलवायु परिवर्तन पूरी मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक गंभीर चुनौती है। जब तक जल और हरियाली मौजूद हैं, तभी तक पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल और वृक्ष-वनस्पतियों के बिना न तो मनुष्य और न ही पशु-पक्षी तथा अन्य जीव-जंतु अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार।
4. जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने, उत्पन्न चुनौतियों से निपटने, जल स्रोतों के संरक्षण-विकास, ऊर्जा के समुचित उपयोग, मौसम के अनुसार कृषि अपनाने, आश्रय ऊर्जा और हरित आच्छादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने जल-जीवन-हरियाली अभियान का शुभारंभ किया।
5. बिहार को हरित, स्वच्छ और सुंदर बनाने, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने, पर्याप्त जल उपलब्ध कराने, वन क्षेत्र बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा की बचत सुनिश्चित करने हेतु 11 बिंदुओं पर आधारित कार्ययोजना तैयार की गई। दिनांक 02 अक्टूबर 2019 को राज्य में जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत की गई।

अध्ययन का औचित्य एवं महत्व

अध्ययन का औचित्य

1. वर्तमान समय में पर्यावरणीय असंतुलन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पूरी मानव सभ्यता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने न केवल प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, बल्कि पृथ्वी के पारिस्थितिकीय संतुलन को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
2. भारत जैसे विकासशील देश में पर्यावरणीय संकट के अनेक रूप देखने को मिलते हैं— जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वनों की कटाई, भूमि का क्षरण तथा भू-जल स्तर का लगातार गिरना। बिहार जैसे राज्य में इन समस्याओं ने और भी गंभीर रूप धारण कर लिया है।
3. इन्हीं परिस्थितियों में बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया "जल-जीवन-हरियाली अभियान" (2019) एक व्यापक और व्यवहारिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ऊर्जा की बचत करना और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करना है।
4. इस अध्ययन का औचित्य इस तथ्य पर आधारित है कि यह शोध इस अभियान की प्रभावशीलता, जन-सहभागिता और पर्यावरणीय सुधार में इसकी भूमिका का गहन विश्लेषण करेगा। साथ ही यह अध्ययन यह स्पष्ट करेगा कि सरकार द्वारा किए गए प्रयास कितने सफल रहे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

अध्ययन का महत्व

1. **पर्यावरणीय चेतना का प्रसार:** यह अध्ययन समाज में पर्यावरणीय जागरूकता और संरक्षण की भावना को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इससे लोगों में प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना सशक्त होगी।
2. **सरकारी नीतियों का मूल्यांकन:** शोध के माध्यम से यह आकलन किया जा सकेगा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान ने राज्य में पर्यावरण सुधार की दिशा में कितनी प्रगति की है और कौन-से कारक

इसकी सफलता या सीमाओं को प्रभावित कर रहे हैं।

3. **नीति निर्माण हेतु दिशा-निर्देश:** यह अध्ययन राज्य और केंद्र सरकार दोनों को भविष्य में प्रभावी पर्यावरण नीतियाँ बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
4. **शैक्षणिक और सामाजिक उपयोगिता:** यह शोध पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करेगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण विकसित होंगे।
5. **जन-सहभागिता को प्रोत्साहन:** यह अध्ययन इस बात को स्पष्ट करेगा कि जन-भागीदारी किसी भी पर्यावरणीय योजना की सफलता की कुंजी है, और “जल-जीवन-हरियाली अभियान” इस दिशा में किस हद तक सफल रहा है।
6. **सतत विकास की अवधारणा को सुदृढ़ करना:** शोध के निष्कर्ष यह दर्शाएँगे कि यह अभियान सतत (Sustainable) विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे सहायक है और किस प्रकार यह मानव-प्रकृति के सह-अस्तित्व की भावना को पुनर्जीवित करता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

- पृथ्वी मानव सभ्यता को मिला सबसे अनमोल उपहार है।
- इस पर जीवन के आने के बाद से अब तक अनेक रूपों में जीव-जंतु और मनुष्य बसते आए हैं।
- खुशहाल और स्वस्थ जीवन तभी संभव है, जब हमारा पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित रहेगा।
- मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि प्रकृति का दोहन होगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा।
- इसलिए पर्यावरण का संरक्षण ही मानवता और आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है।
- नियमों की अनदेखी और लापरवाही का सीधा असर हमारे वातावरण और वैश्विक स्तर पर साफ दिख रहा है।

- जल-जीवन-हरियाली अभियान सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। इस अभियान के माध्यम से आम जनता को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिहार को सुंदर, हरित और स्वच्छ बनाना है।
- राज्य में पर्यावरण संरक्षण बढ़ाने के लिए बिहार पृथ्वी दिवस और वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम मनाए जाते हैं।
- राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिनमें से अब तक 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।

“जीवन में खुशहाली तब तक,
जल जीवन हरियाली जब तक।”

सुझाव

- हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तभी पर्यावरण संरक्षण जैसे बड़े काम सफल हो सकते हैं।
- हर व्यक्ति के सहयोग और राज्य सरकार के “जल-जीवन-हरियाली अभियान” से यह कार्य संभव है।
- जब सरकार के विभागों के साथ आम लोग भी इस अभियान में भाग लेंगे, तभी यह आंदोलन सफल होगा।
- समाज में जागरूकता से ही इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाया जा सकता है।
- भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रकृति, पर्यावरण और संसाधनों का ध्यान रखना होगा ताकि एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण हो सके।

संदर्भ सूची

1. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF), (1962): वन्यजीव संरक्षण और संरक्षण अधिनियम (भारत), नई दिल्ली: डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-भारत।
2. भारत सरकार (1976): संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976. नई दिल्ली: भारत का राजपत्र।

3. मोलनार, पीटर (1986): "हिमालय का भूवैज्ञानिक इतिहास और संरचना"। अमेरिकन वैज्ञानिक ।
4. भारत सरकार (1986): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
5. संयुक्त राष्ट्र (1992): पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन), रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील।
6. विजयालक्ष्मी, आर. (1993): दृष्टिकोण: पर्यावरण जागरूकता: हिंदू परिप्रेक्ष्य, जर्नल ऑफ हिंदू-ईसाई अध्ययन।
7. गुप्ता, आर., एवं नंदा, पी. (2005): मानव और पर्यावरण: एक पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य, नई दिल्ली: डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस।
8. डॉ. रेगा सूर्या राय (2006): पर्यावरण कानून पर व्याख्यान एशिया लॉ हाउस (हैदराबाद)।
9. डॉ. सुरेंद्र कुमार पचौरी (2006): उद्योग पर पर्यावरण कानूनों का प्रभाव। आदित्य बुक्स प्रा. लिमिटेड
10. दास, चंदा (2007): भारत में वन्यजीव संरक्षण पर एक ग्रंथ। क्लासिक पुस्तकें।
11. मिश्रा, वी. एन. (2008): प्रकृति और मानव संबंध। वाराणसी: भारतीय साहित्य प्रकाशन।
12. सान्याल, संजीव (2012): सात नदियों की भूमि: भारत के भूगोल का इतिहास। पेंगुइन यूके।
13. प्रकाश, एस. (2012): पर्यावरण और मानव जीवन। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
14. डॉ. एन.वी. परांजपे (2015): भारत में पर्यावरण कानून और प्रबंधन, थॉमसन रॉयटर्स, कानूनी।
15. घोषाल, जयंत कुमार (2016): पर्यावरण पर रवीन्द्रनाथ, मेनस्ट्रीम, वॉल्यूम लिव नंबर 20 नई दिल्ली।
16. बिहार सरकार (2019): जल जीवन हरियाली अभियान: नीति दस्तावेज़ और कार्य योजना 2019-2025. पटना: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
17. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2020): बिहार की पर्यावरण स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट (2019-2020) पटना: बीएसपीसीबी।
18. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (2020): भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट, नई दिल्ली: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
19. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (2024): भारत में पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता, 13 अक्टूबर, 2025.